रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 274] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 1988/पौष 6, 1910

No. 274] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 1988/PAUSA 6, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 90 आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1988

विषय:— उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू पी एस ई बी) की अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण परियोजना (2 × 5000 मेगावाट) पूर्ण करने के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) ऋण के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंसिंग शर्तें

फाइल सं. आई पी सी/23/(47)/88-91:—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू पी एस ई बी) की अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण परियोजना (2 × 500 मेगावाट) पूर्ण करने के लिए ओ ई सी एफ ऋण के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं को शासित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है ।

के. बी. इरनीराया, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 90 आई टी सी (पी एन)/88-91, दिनांक 27-12-1988 का परिशिष्ट ।

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू पी एस ई बी) के अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन की निर्माण परियोजना (2 × 500 मेगावाट) को पूरा करने के लिए ओ ई सी एफ ऋण के अन्तर्गत उपस्कर और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें ।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

1. (1) जापान, सरकार ने टर्नकी आधार पर यू. पी. एस. ई. बी. की अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण

परियोजना (2×500 मेगावाट) को पूरा करने के लिए 100 बिलियन येन के ओ ई सी एफ ऋण को बहुवर्षीय समय में प्रदान करने की स्वीकृति दी है। अब तक ओ ई सी एफ के साथ 38.395 बिलियन येन की कुल ऋण धनराशि के लिए दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं) ओ ई सी एफ ऋण सं. आई डी-पी-20 जो कि 24.1 बिलियन येन का है 26-12-1984 को हस्ताक्षरित किया गया और सं आई डी-पी-45 जो कि 14.295 बिलियन येन का है, उसे 10-2-1988 को हस्ताक्षरित किया गया है। शेष ऋण राशि के लिए ऋण करार आगामी 2-3 वर्षों में परियोजना के लिए वार्षिक ओ ई सी एफ ऋण को मद्दे नजर रखते हुए हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया ऋण भारत और जापान सहित विकासशील देशों के लिए खुला है। तद्नुसार, इस ऋण के अन्तर्गत अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं । ये देश ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे ।

1. (2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस का मूल्य 110.0 बिलियन येन (लागत-बीमा-भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए ।

आयात लाइसेंस का रुपए में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचालित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतिक दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह भी उल्लेख होगा कि सीमाशुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर मूल्य को लाइसेंस मूल्य के नामे डालेगा। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण" होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस जे सी" कोड होगा । यह कोड यू पी एस ई बी को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी दोहराया जाएगा, इस पत्र की एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1. (3) इस ऋण के तहत आयात लाइसेंस केवल लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किए जा सकते हैं।

1. (4) यू पी एस ई बी/आयातक की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं । लेकिन, कुल मूल्य 110.0 बिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में बताया गया है।

1. (5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि आयातक द्वारा आवेदन करने पर 12 महीनों की और आगे की अवधि तक दी जा सकती है । आगे और वृद्धि करने के लिए तथा आयात लाइसेंस जारी करने के लिए यदि कोई आवेदन हो तो उसे आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए ।

1. (6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है।

1. (7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे ।

1. (8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए । बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय होगा । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रय संविदा होगा विदेशी संभरक के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं हैं।

1. (9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग) को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा-1 (8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते हैं, इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश होने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक 4 महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से

अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप में लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे। जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों को पूर्ण करने के संबंध में साखपत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र और तुल्य रुपया जमा कराने आदि की स्वीकृति इत्यादि की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1. (10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतलदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए:—

"साखपत्र की प्राप्ति के बाद ———— महीने परन्तु अधिक से अधिक———— ——के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-1991 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:—

2. (1) ठेका का जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाडा मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होने चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो, तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए।

ठेके का मूल्य भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2. (2) परामर्शी सेवाओं को छोड़कर अनपारा "बी" थर्मल पावर, परियोजना के लिए ओ ई सी एफ ऋण की रकम से वित्त पोषित किए जाने वाले सभी माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति ओ ई सी एफ ऋण के तहत अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार होगी।

(क) यू पी एस ई बी को माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति का वित्त पोषण पूर्व अर्हता सहित औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा और इनकी संविदा आधारित निविदा के माध्यम से ऋण की रकम से करना होगा।

(ख) यदि पूर्वअर्हता सहित औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति की प्रक्रिया का विकल्प अपनाना चाहता है तो यू पी एस ई बी को इस पद्धति के लिए एक आवेदन पर जिस पर प्राधिकृत व्यक्ति के विधिवत दस्तखत हों प्रस्तुत करके पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

(ग) विज्ञापन और/या पूर्वअर्हता अधिसूचित करने से पूर्व यू पी एस ई बी निधि को पूर्वअर्हता लेखों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा। जब पूर्वअर्हता फर्मों का चयन कर लिया जाएगा तो यू पी एस ई बी निधि को फर्मों की सूची और चयन के सम्बन्ध में कारणों का उल्लेख करते हुए चयन प्रक्रिया रिपोर्ट, सभी सम्बद्ध प्रलेखों को संलग्न करते हुए उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा।

(घ) माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व यू पी एस ई बी सभी नोटिस और बोलीकारों के लिए अनुदेश, बोली प्रारूप प्रस्तावित ठेका, विशिष्टिकरण और ड्राइंग और बोली से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज निधि को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेगा।

(ङ) सफल बोलीकार को निर्णय का नोटिस जारी करने से पूर्व यू पी एस ई बी, बोलियों के विश्लेषण और ठेका देने के प्रस्ताव को निधि की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत करेगा।

(च) ओ ई सी एफ से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त प्रलेख यू पी एस ई बी द्वारा दो प्रतियों में आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(छ) बोली सम्बन्धी दस्तावेजों में पात्र स्रोत देशों को भी दर्शाया जाएगा।

2. (3) विदेशी संभरक को भुगतान, उसके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा ओ ई सी एफ येन क्रेडिट को (परियोजना सहायता) के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। ब्यौरा नीचे खण्ड-5 में दिया गया है।

2. (4) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होने या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास पात्र स्रोत देशों में जहां वे अपना कारोबार करते हैं माल और सेवाओं के प्रस्तुतीकरण या प्रदान करने की उचित व्यवस्था हो।

2. (5) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उनके लिए वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे उत्पाद में आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार, की प्रति इकाई कीमत के 50 % से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा + आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य (भारतीय संभरक के मामले में, कारखाने पर मूल्य अपनाया जाएगा)}} \times 100$$

2 (6) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी:—

"मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल————————(संबंधित पात्र स्रोत देश का नाम) में उत्पादित है ।

"मैं अधोहस्ताक्षरी, आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 50% (पचास प्रतिशत) से कम है :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (भारतीय संभरक के मामले में कारखाने पर मूल्य)}} \times 100$$

"मैं अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि ——————————(कम्पनी का नाम) ——————————को ——————————(पात्र स्रोत देश का नाम) में समाविष्ट और पंजीकृत कर लिया गया है और यह (सम्बन्धित पात्र स्रोत देशों का नाम) के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है ।"

खण्ड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3. (1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित विधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए ।

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच यू पी एस ई सी की अनपारा "बी" विद्युत थर्मल पावर परियोजना के लिए ओ ई सी एफ ऋण (परियोजना सहायता) से संबंधित ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों ।

(घ) उपर्युक्त 2(6) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) ।

(ङ) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा में इस संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक, भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोतलदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड-4 ओ ई सी एफ द्वारा ठेके की स्वीकृति

4. (1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर यू एस ई बी और विदेशी संभरकों दोनों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आवेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित और परिशिष्ट-2 के प्रपत्र में "प्राधिकार पत्र" जारी करने के लिए आवेदन की दो प्रतियां आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

4. (2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय वस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण होने वाले संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4. (3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग ठेका प्रलेख की एक प्रति ओ ई सी एफ की स्वीकृति के लिए भेजेगा । साथ ही साथ प्रत्येक ठेकों की एक-एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को और सी ए ए एण्ड ए के कार्यालय को भेजेगा ।

खण्ड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान-साखपत्र क्रिया विधि

5. (1) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ओ ई सी एफ से ठेके की स्वीकृति की सूचना प्राप्त करने पर उसके सम्बन्ध में यू पी एस ई और सी ए ए खण्ड ए को सूचित किया जाएगा जिसके बाद यू पी एस ई बी को

सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे आगे सी ए ए एण्ड ए कहा गया है), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग से अनुबन्ध-2 में संलग्न प्रपत्र में यह आवेदन करते हुए सम्पर्क करना चाहिए कि वह सम्बन्धित विदेशी संभरक के नाम में संलग्न अनुबंध-4 के प्रपत्र में (आयातों के लिए) और अनुबन्ध-5 के प्रपत्र में (सेवाओं के लिए) अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए संलग्न अनुबन्ध-3 के प्रपत्र में बैंक आफ इंडिया की टोकियो शाखा को सम्बोधित एक प्राधिकार पत्र जारी करें। प्राधिकार पत्र की प्रतियां ओ ई सी एफ, भारतीय दूतावास टोकियो, यू पी एस ई बी, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी ।

5. (2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, बैंक आफ इंडिया, टोकियो अनुबन्ध-4 (आयातों के लिए) या अनुबन्ध-5 (सेवाओं के लिए) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक-एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा ।

सी ए ए एण्ड ए से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख-पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि प्राधिकार पत्र/साखपत्र में होने वाले ऐसे सभी संशोधनों पर स्वतः लागू होगी जो संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक हों ।

5. (3) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा यदि प्रलेख सही पाए गए तो वह दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उन बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा ।

5. (4) साखपत्र खोलने, उसके अधीन लेन-देन करने सम्बन्धी प्रभार और यदि विदेशी संभरकों के बैंकरों के कोई अन्य प्रभार हों तो उन्हें आयातक/विदेशी संभरकों द्वारा चुकाया जाएगा। संविदा मूल्य के 1/10 प्रतिशत (0.1 प्रतिशत) के बराबर धनराशि की प्राप्ति होने पर ओ ई सी एफ द्वारा एक वचनबद्धता पत्र जारी किया जाएगा यह धनराशि ओ ई सी एफ द्वारा ऋण/निधियों से स्वतः चुकाई जाएगी ।

आयातक को ओ ई सी एफ से या लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय से भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर वचनबद्धता खर्चे के इस पत्र के तुल्य रुपया भारत सरकार के लेखे में जमा कराना पड़ेगा । ओ ई सी एफ को भुगतान की निधि से और रुपया जमा करने की तिथि तक (दोनों दिन मिलाकर) का ब्याज भी आयातक द्वारा चालू दर पर अदा किया जाएगा ।

प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अधीन भी इसी प्रकार 0.1 प्रतिशत के खर्चे आयातक द्वारा देय हैं । आयातकों द्वारा विदेशी संभरकों को आयातों की लागत के भुगतान की तिथि से ओ ई सी एफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की अवधि के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय ब्याज के खर्चे भारत में आयातक के सम्बन्धित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रेषित किए जाएंगे ।

5. (5) प्रतिपूर्ति क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए ऋण की रकम की अदायगी के लिए प्रक्रिया ऋण समझौते की प्रतिपूर्ति क्रियाविधि के अनुसार होगी ।

खण्ड 6—परामर्शदाताओं का नियोजन

परामर्शदाताओं का नियोजन ऋण समझौते में सम्बद्ध "विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से ऋण लेने वालों द्वारा परामर्शदाताओं के नियोजन से संबंधी मार्गनिर्देश" के अनुसार किया जाएगा :—

(1) परामर्शदाताओं का नियोजन करने वाली फर्मों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:—

(क) अधिकांश अभिदत्त शेयर पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा धारित किए जाने चाहिए ;

(ख) अधिकांश पूर्ण कालिक निदेशक पात्र स्रोतों देशों के राष्ट्रिक होने चाहिए ।

(ऐसी फर्में पात्र स्रोत देशों में निगमित तथा पंजीकृत होनी चाहिएं ।)

(2) निम्नलिखित के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करना होगा :—

(i) सेवा की शर्तें

(ii) परामर्शदाताओं की लघु सूची ।

(iii) आमंत्रण पत्र ।

(iv) संक्षिप्त मूल्यांकन शीट सहित मूल्यांकन रिपोर्ट ।

(3) प्रत्येक संविदा के साथ परामर्शदाता की पात्रता से संबंधित निम्नलिखित घोषणा, जिसपर परामर्शदाता द्वारा अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी, संलग्न होनी चाहिए :

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि ..... (फर्म का नाम) ..... पात्र स्रोत देशों का नाम में निगमित तथा पंजीकृत है, और एक पात्र परामर्शदाती फर्म है जिसके ..... प्रतिशत (..... %) अभिदत्त शेयर ..... (संबंधित पात्र स्रोत देशों का नाम) के नागरिकों द्वारा धारित

हैं और इसके .... प्रतिशत (.........%) पूर्ण कालिक निदेशक .... (संबंधित पात्र स्रोत देशों के नाम) के राष्ट्रिक हैं।"

(4) अगर जापान को छोड़कर किसी और पात्र स्रोत देश के परामर्शदाता को संविदा प्रदान की जाएगी तो संविदा के मूल्य का उल्लेख तथा भुगतान जापानी येन या अमरीकी डालर में किया जाना चाहिए। जापानी परामर्शदाता को संविदा प्रदान करने की स्थिति में संविदा के मूल्य का उल्लेख तथा भुगतान जापानी येन में किया जाना चाहिए।

संविदा भारत सरकार/विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा अनुमोदन प्रदान करने पर ही की जाएगी।

(5) ऊपर कथित प्रलेखों को यू.पी.एस.ई.बी. द्वारा निम्नलिखित का विवरण देते हुए आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से निधि को प्रस्तुत किया जाएगा :—

(क) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा धारित अभिदत्त शेयरों का प्रतिशत।

(ख) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक जो कि पूर्णकालिक निदेशक हैं, का प्रतिशत।

खण्ड 7-रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

7(1) बैंक आफ इंडिया, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में यथा संकेतित आयातक के प्राधिकृत बैंकर को विनिमेय जहाजी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इस बात का सुनिश्चय करेगा कि जहाजी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। प्रथम 30 दिनों के लिए समय-समय पर चालू वर्तमान 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से गिनी गई येन भुगतान के समतुल्य रुपये के लिए ब्याज प्रभार और उससे अधिक की अवधि के लिए वास्तविक रुपया निक्षेप करने की तारीख से विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तारीख तक 18 प्रतिशत की दर से प्रभार भी मूल धनराशि के साथ सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार जमा कराने पड़ेंगे।

इस बात को नोट कर लिया जाना चाहिए कि इन दोनों दिनों अर्थात् जिस तारीख को भुगतान किया जाता है और जिस तारीख को सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 और सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 द्वारा यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 के अनुसार ब्याज लिया जाएगा।

आयातक को संभरक को किए गए भुगतान की धनराशि और तारीखों का निश्चय करने के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। बैंक आफ इंडिया, टोकियो से आयातक के बैंकर द्वारा जहाजी दस्तावेजों आदि की देरी से प्राप्ति को अथवा निक्षेप पर देर ब्याज की आंशिक अथवा पूरी धनराशि की छूट के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 109-आई.टीसी (पीएन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो।

इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही वे विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी मूल दस्तावेजों के बिना प्राप्त करते हैं। यदि आयातक सरकार को देय धनराशि को माल की सुपुर्दगी से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बंद कर दिया जाए और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात को दी जाए ताकि ऐसे आयातक को आगे और आयात लाइसेंस जारी न किए जाएं। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 843-सिविल डिपोजिट्स एडिशोजिट्स फार परचेजिज अट्सट्रा एब्राड-परचेज अण्डर क्रेडिट्स/ओ ई सी एफ लोन एग्रीमेंट्स" (लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार दि अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है।

7(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं. 5130000009 का संकेत देते हुए सरकार के खाते में सार्वजनिक सूचना सं. 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-1868, सं. 132-आईटीसी (पीएन/(71, दिनांक 5-10-71 सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में उल्लिखित अनुसार जमा करनी चाहिए।

7(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारत में आयातक का संबंधित बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन प्रेषण और प्राधिकारी" (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट की गई है। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की विधि।

उसके पश्चात् सीएए एण्ड ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा जहाजी दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान में रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए उसे पंजीकृत डाक द्वारा सीएए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :— भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक आफ इंडिया टोकियो से अदायगी की सूचना और विनिमय जहाजी दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर रुपया निक्षेप निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सीएए एण्ड ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को इस तथ्य से सूचित कर दिया गया है।

7(4) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड 8-विविध व्यवस्थाएं

8(1) आयात लाइसेंस का उपयोग करने की रिपोर्ट साखपत्र खोलने के बाद आयातक को पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में एक मासिक रिपोर्ट सहायता खा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना।

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए ऐसे किसी विशेष उपबन्ध से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो सौदा करने में संभरक पर प्रभाव डालता हो।

8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के बारे में आयातक को अनुबन्ध-2 में "भुगतान की शर्तों" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए। संविदा की शर्तों में विवादों को निपटाने से सम्बन्धित प्रावधान शामिल होने चाहिए।

8(4) भावी अनुदेश

आयात लाइसेंस से उत्पन्न या उससे सम्बन्धित किसी एक मामले या सभी मामलों के सम्बन्ध में और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के साथ किए ओ ई सी एफ ऋण करार (परियोजना सहायता) के तहत सभी दायित्वों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची

1.	अनुबन्ध-1	पात्र स्रोत देशों की सूची
2.	अनुबन्ध-2	प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध।
3.	अनुबन्ध-3	प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
4.	अनुबन्ध-4	साखपत्र का प्रपत्र (आयातों के लिए लागू)
5.	अनुबन्ध-5	साखपत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)।

उपाबन्ध — 1

पात्र स्रोत देशों की सूची

क. विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(क—1) पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा
   मिस्र

मोरक्को
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
अंगोला
बेनिन
बोत्स्वाना
बरुन्डी
केमरोन
केप वर्डे द्वीप
मध्य अफ्रीका गणतंत्र
चाड
कोमारो द्वीप
कांगो, दाहोमे का गणतंत्र
इक्वेटोरियल गिनी (1)
इथोपिया
जाम्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
केनिया
लेसोथो
लाइबेरिया
मालागासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारीशस, मारिटेनिया
मोजाम्बिक
नाईगर
पुर्तगाली गुयाना
रियूनियन
रोडेशिया
रवाण्डा
सेंट हैलिना और द्वीप (2)
साओ टोमो और प्रिंसिपल
सेनेगल
सीचलीज
सीयरे लिओन
सोमालिया
सूडान
स्विटजरलैण्ड
टैरो अपगर्स और इसास
टोगो
यूगाण्डा
तंजानिया गणतंत्रीय संघ
अपर वोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3 अमरीका, उत्तरी और केन्द्रीय
बहामास
बरमूडा
बारबोडोस
बेलीज
कोस्टा रीका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल सेल्वाडोर
गुडालोप
ग्वाटेमाला
हैटी
होण्डूरस
जमैका
मारटीनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड एन्टीलीज
निकारागुआ
पनामा
सेंट पियरी और मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टोबागो

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय
वेस्टइन्डीज (शाखा) एन. अर्थात
(क) सह-सम्बन्ध राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरिका
अर्जेन्टीना

---

(1) पहले स्पेन गिनी का प्रदेश फरनाडो पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित:– एस्केनियन ट्रिस्टण्डी इन एक्सेसिबल्स नाइटिनेगेल गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह अल्बा बोनाइरे क्युराकाओ, साहा, सेंट

(1) मुख्य द्वीप एन्टिक डोमिनिका ग्रेनडा, सेन्ट किटस (सेंट किस्टोफर) नेविल-अंगुइला सेंट लूसिया और सेन्ट विसेन्ट

(2) मेन आईलैण्ड, मोन्तेसरत, सेमान तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह ।

बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाकलैण्ड द्वीप समूह
फ्रांस गिनी
गुयाना
पराग्वे
पीरू
सूरिनाम
यूरूग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया
बहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमान
सिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमीरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी गणराज्य

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बंगलादेश
भूटान
बर्मा
भारत
क्यूराकाओ साहा सेन्ट
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया
बरूनी
हांग-कांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
माकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान

थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया
कुक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बट और इलाइस द्वीप
फांसिस पौलिनेशिया (5)
नारू
न्यू केलेण्डोनिया
न्यू हैब्रिसिस (ब्र. और फ.)
निमु
पैसोफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा.)
टोगा
वालिस और फुतूना
पश्चिमी सामोआ

9. यूरोप
साईप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीस
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

(3) अजमन दुबई फुजीराह रास अल्खेमाह शरजांह और अम्म अल क्वेंयायन।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी आई लैण्डस समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोद - बोम्बियर ग्रुप और मारकोस द्वीप समूह।

6 पैसिफिक द्वीप का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप, मार्शल द्वीप समूह और मरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क—2) ओ. पी. ई. सी. के सदस्य या सहयोगी देश
अल्जीरिया
बोलिया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गेबोन
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुअला
ईरान
ईराक
कुवैत
कतार
सऊदी अरब
आबू-धाबी
इन्डोनेशिया

उपाबन्ध—2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

संख्या

दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यूनाइटिड कमर्शियल बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नयी दिल्ली-110001

विषय : येन क्रेडिट सं. आई डी पी (1988 के लिए परियोजना सहायता) के अंतर्गत
----------का आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं. आई.डी.पी.----------(परियोजना सहायता) के अधीन---------- से----------के आयात के सम्बन्ध में----------(बैंक का नाम)----------जो कि वही होना चाहिए, जो नीचे (ढ) में सम्बद्ध विदेशी संभरक के नाम में साख पत्र खोलने के लिए दिया गया है कि पक्ष में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्योरे प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके ----------क्या वह सीधे क्रय पर आधारित है या औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय अनुपयुक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।

(ङ) माल का उदगम देश ।

(च) यदि कोई हो, तो पक्ष से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत ।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) ।

(ज) यदि कोई हो, तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में)

(झ) वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) विदेशी के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) विदेशी संभरक का नाम और पता ।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।

(ढ) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किया जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सैट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए) ।

(ण) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं, निर्दिष्ट कीजिए ।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ.ई.सी.एफ. को इसे अधिसूचित किया गया है ।

(द) क्या साख पत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे आयातक बैंक द्वारा या संभरकों द्वारा वहन किए जाने हैं ।

(ध) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—

"हम एतद्द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपए को पूरा और सही जमा करने का वचन देते हैं। प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) की सुपुर्दगी लेने से पूर्व तत्काल ही जमा करा दिया जाएगा । विदेशी संभरकों के सम्बन्धित बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित होते ही और उनको अदायगी करने ही विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए भुगतानों के मामले में निक्षेप कर दिए जायेंगे और संभरकों को भुगतान कर दिया जाएगा ।"

उपाबन्ध-3

(प्राधिकार पत्र का प्रपत्र)

(सं.)

(भारत सरकार)

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय : येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं.

आई.डी.पी. --------------------के अधीन आयात ।

साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपको बैंक के साथ दिनांक 25-3-80 को किए गए समझौते की शर्तों पर के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री--------------------------के नाम में--------------------येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साख पत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ.ई.सी.एफ. भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए ।

3. साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों के भुगतान आपको निधि में किया जाएगा । आप ओ०ई०सी० एफ को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करें।

4. विदेशी संभरकों को अदायगी करते समय आपके द्वारा --------------------(आयातक के बैंक के नाम व पता) मूल पोतलदान दस्तावेज (विनियमन), अतिरिक्त पूर्ण दस्तावेजों के सैट के साथ तथा संभरक को की गई अदायगी को नामें डालने की सूचना, तत्काल अदायगी, यदि कोई की गई हो, तो उसकी प्रति भेजें ।

5. संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से ओ.ई.सी. एफ द्वारा आपको उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक के बीच के समय के लिए आपको चुकाए जाने योग्य ब्याज प्रभार भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव डाले बिना सामान्य बैंकिंग स्रोतों के माध्यम से भारत में संबंधित आयातक के बैंक के साथ आपके द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। बैंकों के अन्य खर्च जिसमें साखपत्र खोलने, पृष्ठांकन करने और साखपत्रों के संचालन करने और सौदा संबंधी दस्तावेजों के संचालन से संबंधित और यदि कोई हो, तो विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्च भी विदेशी संभरक/आयातक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरक/आयातक से प्राप्त किया जाए। इस प्रकार के भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ.ई.सी.एफ. से नहीं किया जाएगा ।

6. जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाए और उसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाए तो उसकी सूचना निर्धारित पत्र में इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए ।

7. यह प्राधिकार पत्र विदेशी संभरकों के नाम में साख पत्र खोलने के लिए है। साखपत्र में बाद में किए जाने वाले संशोधन या प्राधिकार पत्र में मद्दे भविष्य में साखपत्र इस मंत्रालय से विशेष प्राधिकार प्राप्त किए बिना वैध नहीं होंगे।

8. यह प्राधिकार पत्र--------------------तक वैध रहेगा ।

9. कृपया इस करार से संबंधित सभी पत्राचार और भुगतान का उल्लेख करने वाले सूचना पत्र में इस अनुदेश पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या का उल्लेख करें ।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक————————————को उसके पत्र सं.————————————दिनांक के————————————के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबन्ध करें। यदि विशेष परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही सीमाशुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाएं, निक्षेप कर दिए जाएं। निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में यथाउल्लिखित आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

2(1) आयातक के बैंकर————————————। यह आयात लाइसेंस सं.————————————दिनांक————————————के संदर्भ में है। यह प्राधिकार पत्र येन क्रेडिट के अंतर्गत आयातों को शासित करने वाली संबंधित लाइसेंस शर्तों के तहत जारी किया गया है। लाइसेंस शर्तें और संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं आदेशों को देखें और आयात/विदेशी भुगतान करते समय उचित कार्रवाई करें।

2(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8–आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएगी। प्रथम 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 18% वार्षिक दर से ब्याज जो कि संभरक को भुगतान की तारीख /बैंक आफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की तारीख और जिस तारीख को समतुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाए उनकी अवधियों के बीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कराना है। ब्याज दोनों दिनों के लिए देय है अर्थात् वह तारीख जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह भी तारीख जिसको भारत सरकार के लेखे में रुपया जमा कराया जाता है (जब भी इस दर में परिवर्तन किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 184–आई टी सी (पी एन) 68, दिनांक 30-8-68, आई टी सी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-1968, 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974, संख्या 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रु० जमा कराना है, "के डिपाजिटस एण्ड एडवांसिज–843–सिविल डिपाजिटस–डिपाजिटस फार परचेजिज एटसैट्रा अब्रोड अण्डर परचेजज क्रेडिट/लोन एग्रीमेंटस" लोन फ्रोम दा गवर्नमेंट आफ जापान————————बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी.........फार 198--8 है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सार्वजनिक सूचना सं. 132–आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाए उन मामलों में चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए, जिस के साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषण पत्र होना चाहिए।

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यूनाइटिड कमर्शियल बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामले में जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्योरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरक को भुगतान करने की तिथि और ओ.ई.सी.एफ. द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी अदायगी की तिथि के बीच की अवधि के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय ब्याज प्रभार बैंक सूत्रों के माध्यम से भारत सरकार के लेखे पर प्रभार डाले बिना बैंक आफ इंडिया टोकियो के साथ आपके द्वारा सीधे निर्णित किए जायेंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग–2 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि टकेबासी गोडो बिल्डिंग, 4–1 ओ हटेमासी–1 कोमें, चियोडाकू, टोकियो 100, जापान।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

उपाबन्ध-4

प्रपत्र ओ. ई. सी. एफ. एल. सी.-1

अपरिवर्तनीय साखपत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

——————————————

——————————————

यह साखपत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार संख्या————————————दिनांक—————— के अनुसरण में जारी किया गया है।

महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में भेजे गए आपके पूरे बीजक मूल्य के लिए आप के साइट ड्राफ्टों द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने आपके पक्ष में अपरिवर्तनीय साख पत्र सं.——————————खोल दिया है जो——————————(अर्थात् येन) की कुल धनराशि से अधिक नहीं जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :—

हस्ताक्षरित पूर्ण वाणिज्यिक बीजक, पोत परिवहन लदान बिल जिसमें दिए गए आदेशों का पूरा सैट हो, ब्लैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट एवं नोटिफाई" अंकित किए हुए अन्य दस्तावेज।

जिनमें पोतलदान (माल के लदान का संक्षिप्त) को प्रमाणित करते हुए संविदा सं.——————————(यदि कोई हो) के संदर्भ में———— से——————————तक आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। वाहनांतरण स्वीकृत है ड्राफ्ट——————————के बाद की तिथि का नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस ऋण के अंतर्गत सभी ड्राफ्ट तथा दस्तावेज पर "अपरिवर्तनीय साख पत्र सं.——————————बिना लेन देन के" लिए प्रभाग————के अंतर्गत आहरण किया गया और आयात संदर्भ सं.——————————(संख्याएं) यदि कोई हो, अंकित होना चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इस की शर्तों के अनुपालन में हमारे नाम में भेजे गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जायेंगे।

जब तक अन्यथा रूप से उल्लेख न किया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकुमेंट्स क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इण्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं. 290" के अधीन है।

1. उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम लेन-देन करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्टों की धनराशि को लौटा देंगे।

2. लेन-देन करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सैट और उसके साथ एक प्रमाणपत्र अवश्य भेजना चाहिए कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा——————————को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक/संभरक के खाते में देय हैं।

भवदीय,

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा——————————

प्राधिकृत हस्ताक्षर——————

भुगतान शर्तें

यह भुगतान शर्तें हमारे साखपत्र सं.——————————का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि——————————येन

कुल संविदा मूल्य का——————————प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज :

अंतिम भुगतान तिथि :

2. मध्यस्थ भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि——————————येन

कुल संविदा मूल्य का——————————प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज :

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

3. पोत परिवहन दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि——————————येन

कुल संविदा मूल्य का——————————प्रतिशत है।

टिप्पणी :—यह संलग्न शीट पोत परिवहन दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामलों में अपेक्षित नहीं है।

उपाबन्ध–5

प्रपत्र ओ ई सी एफ एल-सी-2
(अपरिवर्तनीय साख-पत्र)
(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

यह साखपत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार----------

संभरक का नाम तथा पता---- ----------सं.----------दिनांक----------के अनुसरण में जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम पर पूर्ण उल्लिखित मूल्य के लिए हिताधिकारी के ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम जिसकी कुल धनराशि----------(----------) येन से अधिक नहीं है, के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं.----------खोल दिया है ।

इसमें इसके साथ संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (परियोजना के संबंध में ठेका सं.----------) से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए । लेन देन के लिए ड्राफ्ट ----------से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर अपरिवर्तनीय क्रेडिट सं.----------के अंतर्गत ड्रोन" लिखा होना चाहिए ।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है ।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाये गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आवेक्षितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जायेंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक उल्लेख के किया जाए, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकुमेंटरी क्रेडिट (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स ब्रोचर सं. 290" के अधीन है ।

सेन देन करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :-

(1) इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किये गये निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात इस क्रेडिट के अंतर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किये जाने चाहिए । प्रारम्भिक भुगतानों के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण को बजाए हिताधिकारी का विवरण अपेक्षित है ।

(2) ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए बचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम सेन-देन करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्टों की राशि परेषित करने वचन देते हैं ।

(3) उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की एक प्रति और ड्राफ्ट उनकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही हमें भेजे जायेंगे ।

(4) इस साखपत्र के अंतर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातकों/संभरकों के खाते से देय हैं ।

भवदीय
वाणिज्यिक बैंक
द्वारा----------
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं.----------का एक अभिन्न अंग है ।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि----------येन जो कुल संविदा मूल्य का----------प्रतिशत है ।

अपेक्षित दस्तावेज : हिताधिकारी का विवरण

प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :

2. भुगतान प्रगति :

सम्पूर्ण योग : धनराशि ----------येन जो कुल संविदा मूल्य का----------प्रतिशत है जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया जाना है :-

देय धनराशि	
पहली किस्त, येन----------	----------
दूसरी किस्त येन ----------	----------
----------	----------

अपेक्षित दस्तावेज : (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है ।

MIINSTRY OF COMMERCE

(IMPORT TRADE CONTROL)

PUBLIC NOTICE NO. 90-ITC(PN)|88-91

New Delhi, the 27th December, 1988

Sub : Licensing Conditions for import of equipment| services under OECF Loan for implementation of the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project (2x500 MW) of the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB).

File No. IPC|23(47)|88-91.—The terms and conditions governing import of equipment|services under OECF Loan for implementation of the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project (2x500 MW) of the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB), as given in Appendix to the Public Notice are notified for information.

Sd|-

K. V. IRNIRAYA,
Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 90-ITC(PN)| 88-91 dated 27-12-1988.

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORT OF GOODS AND SERVICES UNDER THE OECF LOAN FOR IMPLEMENTATION OF THE ANPARA 'B' THERMAL POWER STATION CONSTRUCTION PROJECT 2x500 MW) OF THE UTTAR PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD (UPSEB), EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (OECF) OF JAPAN.

Section I-General Conditions

I (i) The Govt. of Japan have agreed to extend a multiyear OECF loan of Yen 100 Billion for implementation of the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project (2x500 MW) of the U. P. S. E. B. on a turn-key contract basis. So far two loan agreements have been signed with the OECF for a total loan amount of Yen 38.395 Billion (OECF Loan No. ID-P. 20 for Yen 24.1 Billion signed on 26-12-1984 and No. ID-P. 45 for Yen 14.295 Billion signed on 10-2-1988). The Loan agreements for the balance amount will be signed in the next 2-3 years depending upon the annual OECF loan requirements for the project.

The OECF loan for financing the import requirements of the project is untied in favour of developing countries including India and Japan. Accordingly the goods and services to be procured under this loan can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the loan.

I (ii) Import Licence (s) under this loan can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD|CG Committee. The value of import licence (s) issued under this loan arrangements should not exceed Yen 110.0 Billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the importer licence (s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)| 74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence (s) at the exchange rate specified on the import licence (s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit". The first and second suffix to the licence code will be "S|JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to UPSEB, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence (s) under this loan can be issued only on CIF basis.

I (iv) Depending on the convenience of UPSEB| importer more than one import licence may be issued under this loan, but the total value must not exceed Yen 110 0 billion (CIF) as specified at (i) above.

I (v) The extension of the validity of the import licence may on application be granted for a further period of 12 months. Requests for further extension| isssue of a fresh import licence, if any, may be referred to Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB|C&F basis on the overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian Licence on the supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and|or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import

licence. If firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the Licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorities dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i. e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of .....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-1991.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The FOB|C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) The procurement of all goods and services except consulting services to be financed under the OECF loan for Anpara 'B' Thermal Power Project shall be made in accordance with the Guidelines for procurement under the OECF Loan.

(a) The U. P. S. E. B. shall procure goods and services to be financed out of the proceeds of the loan through Formal Open International Tendering with prequalification and on turnkey contract basis.

(b) The U. P. S. E. B. shall obtain the prior approval of the Fund if it wishes to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering, submitting to the Fund an application for Approval of Procurement Method (s) signed by a duly authorised person.

(c) Before advertisement and|or notification of prequalification, the U. P. S. E. B. shall submit to the Fund for its approval the prequalification documents. When the prequalified firms have been selected, the U. P. S. E. B. shall submit to the Fund for its approval the list of those firms and report on the selection process giving the reasons for the selection made, attaching all relevant documents.

(d) Prior to inviting bids for procurement of goods and services, the UPSEB shall submit to the Fund for its approval all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents related to the bidding.

(e) Prior to issuing a notice of award to the successful bidder, the U. P. S. E. B. shall submit to the Fund for its approval the analysis of bids and the proposal for award of the contract.

(f) The documents stated above will be submitted by the U. P. S. E. B. to the Department of Economic Affairs, in duplicate, for obtaining approval of OECF.

(g) The bidding documents shall state which are the eligible source countries.

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF loan (Project Aid) the details of which are given in Section V below.

II (iv) Eligibility of supplier

The suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons incorporated and registered in eligible source countries, and which have its appropriate facilities for producing or providing the goods or services in the eligible source countries, and actually conduct its business there.

II (v) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than fifty per cent (50%) of the price per unit of such products in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price + Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price (Ex-factory price in case of Indian Suppliers).}} \times 100$$

II (vii) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier, signed and dated by the supplier, shall be added to earth contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in———— —(name of eligible source country).

I the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than fifty percent (50%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price + Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price (Ex-factory price in case of Indian Suppliers)}} \times 100$$

"I, the undersigned, hereby certify that——————— (Name of company) has been incorporated and registered in ——————— (name of eligible source country), and is controlled by nationals of——————————— (Name of eligible source countries concerned)".

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) concerning the OECF loan (Project Aid) for Anpara 'B' Thermal Power Project of U. P. S. E. B. and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Co-operation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the OECF loan agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India nr the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II (vii) above.

(e) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India atleast six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian Importers require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV-Contract Approval by OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licencee should forward 4 copies of the contract duly signed by both UPSEB and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval. A copy each of the contract will also be simultaneously sent to the Embassy of India, Tokyo and the CAA&A.

Section V-Payment to the overseas suppliers-Letter of Credit Procedure.

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs the UPSEB and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the UPSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit. (hereinafter referred to as CAA&A) Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-II for issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-III addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-IV (for imports) or Annexure-V (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India. Tokyo, UPSEB, the importer's Bank in India, and Japan Section. Departmen of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-IV applicable to (imports) or V (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA &A would ipso-facto apply to all such amendments to letter of authorisation|letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges if any of overseas supliers' bankers are to be borne by the overseas supplier|importer. A letter of commitment will be issued by the OECF on receipt an amount equal to one-tenth percent (0.1%) of the contract value. This amount will be paid to itself from the loan funds by OECF.

The importer is required to deposit into the Govt. of India account the rupee equivalent of this letter of commitment charges on receipt of intimation of the payment from OECF or from the controller of Aid Accounts, Ministry of Finance. Interest from the date of payment to OECF to the date of rupee deposit (both dates inclusive) at prevailling rates will also have to be paid by the importer.

A similar charge of 0.1% is payable by the importer under the reimbursement procedure also. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the pediod counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers bank of India by remittance to the Bank of India Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V (v) Reimbursement Procedure

Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with REIMBURSEMENT PROCEDURE of the loan agreement.

Sectoon VI—Employment of Consultants :

Consultants shall be employed in accordance with "Guidelines for the Employment of Consultants by OECF Borrowers" attached to the Loan agreement.

(i) The consulting firms shall satisfy all of the following conditions :

(a) A majority of the subscribed shares shall be paid held by nationals of the Eligible source Countries ;

(b) A majority of the full-time directors shall be nationals of the Eligible Source Countries ;

(c) Such firms shall be incorporated and registered in the Eligible Source Countries.

(ii) The prior approval of OECF is required to be obtained for the following :—

(i) Terms of Reference.

(ii) Short List of Consultants.

(iii) Letter of Invitation.

(iv) Evaluation Report including Summary Evaluation Sheet.

(iii) The following declaration as to the eligibility of the Consultant, signed and dated by the Consultant, shall be attached to each contract :

"I, the undersigned, hereby certify that———— (name of firm) has been incorporated and registered in———————(name of the Eligible Source Country concerned), and is an eligible consulting firm————per cent (————%) of the subscribed shares being held by nationals of———— (name of the Eligible Source Countries concerned) and————per cent (————%) of the full time directors being nationals of———— (name of the Eligible Source Countries concerned)"

(iv) When the contract is awarded to a Consultant of an eligible source country other than Japan, the contract price shall be stated and payable in Japanese Yen or United States Dollars. When the contract is awarded to a Japanese consultant, the contract price shall be stated and payable in Japanese Yen. The contract shall be subject to the approval of the Government of India|OECF.

(v) The documents stated above for approval of the Fund shall be submitted by the U. P. S. E. B. to the Fund through the Department of Economic Affairs indicating the following :

(a) Percentage of the subscribed shares held by nationals of Eligible Source Countries.

(b) Percentage of the full-time directors who are nationals of the Eligible Source Countries.

Section VII—Responsibility for rupee deposit.

VII (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated at the rate prevailing from time to time, the present rate being 12% per annum for the first 50 days and @ 18% per annum for the period of excess thereof, reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 31-ITC (PN) |83 dated 18-8-1983.

It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC (PN) |74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC (PN) |74 dated 12-10-1974 and Public Notice No. 31-ITC (PN)|83 dated 10-8-1983.

The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker from Bank of India, Tokyo will not be acceptable as reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notice No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amount due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importers should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amount due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importers fail to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further LAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-civil Deposits-Deposits for purchase etc. abroad-Purchase under credits/OECF Loan Agreements" Loans from the Government of Japan for the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project.

VII (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Cone No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-68, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VII (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) while filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note :—Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VII (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous Provisions.

VIII (i) Reports on utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licences should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India, will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-II under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions.

The licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import

licence and for meeting all obligations under the OECF loan Agreement (Project Aid) with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v)Breach or violation.

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures :

Annexure I List of eligible source countries.

Annexure II Request for issue of Letter of Authority.

Annexure III Form of Letter of Authority.

Annexure IV Form of Letter of Credit (Applicable to imports).

Annexure V Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Development Countries and Territories.

(a1) Non-OPEC Developing Countries.

I. AFRICA, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Camereon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helens and dep (2)
Sao Tomo and Principle
Senegal
Seychelles
Sierra Leione
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and
Issas
Togo
Ugenda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zambia

III. AMERICA, North end Cont.
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Ricca
Cuba
Dominican Republic
EL Salvador
Guadeloupe
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands An Tilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

III. AMERICA, North & Central
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando PO.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St.

1. Main Islands Antique, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East
Haharain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D. R. (4)

VI. ASIA, South
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India M
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East
Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timore
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam, Dem. Rep.

VIII. OCEANIA
Cook Islands
Fiji
Gibert & Elice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna

Western Samoa

IX. EUROPE
Cyprus
Gibralter
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

2. Main Islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos. and British Virgin Islands.

3. Ajman, Dubai, Fugairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

4. Including Aden and various sultnat s and mi rates.

5. Comprising the Society Islands (including Tahiti) The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

6. Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam.)

(a2) Member of Association Countries of OPEC

Algeria

Bolivia

Libyan Arab Republic

Gabon

Nigeria

Ecuator

Venezuela

Iran

Iraq

Kuwait

Qatar

Saudi Arabia

Abu Dhabi

Indonesia.

ANNEXURE II

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Ddlhi-110 001.

Sub : Import of from————under the Yen Credit No. ID-P———(Project Aid for 198 -8).

Sir,

In connection with the import————from————under the above mentioned Yen Credit No. ID-P.———— (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the ————(name of the Bank) which should be the same as given in (P) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any—

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross FOB/C&F value (InYen) of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) Net FOB/C&F value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and address of the Overseas Supplier.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

(r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the Importers/or Supplier.

(s) Undertaking by the importer :—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc. of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the Payments made to the suppliers".

ANNEXURE III

(Letter of Authority Form)

No.F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid) Loan Agreement No. ID-P————Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-80—entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen———————— favouring M/s.————————————————as per attached details.

2. A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank, to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

3. Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

4. On making payment to the foreign supplier you should send to————————(Name and address of the importers' Bankers) the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. Interest charges payable to you, for the time lag between the date of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned Importers bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Supplier/Importer and may, therefore, be recovered from the Supplier/Importer dreirectly. No reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

6. As and when payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

7. This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. This Letter of Authority will remain valid up to————————————.

9. Please quote the number given at the top of this letter of instructions in all correspondence relating to the contract and also in the advice showing payment.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importers————————with reference to their letter No.————————dated————————.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing Conditions.

2. (i) Importers' Banker..... This has reference to import licence No.———— —date————This leter of authorisation issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen credit. The licensing conditions and connected Public Notice/order etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

2. (ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12% per annum for the first thirty days and rate of 18% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited the Government Account is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposits is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the SBI, Tis Hazari, Delhi. In this connection, their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-Civil Deposit-Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan————billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P————for 198 -8

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the date of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Gode Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100 Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Ecnonomic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE IV

Form OECF-LC I

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

Date:

This letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ———— Dated ———— between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

To

————————

————————

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.————————in your favour for amt of————————for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y———— ————(Say yen) avilable by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify" other documents evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. ———— if any) from to partial shipments and permitted. Transhipment is permitted. Bills of lading must be dated not later than Drafts must be presented for negotiation not later than

All Drafts and documents under this credit must be marked

"Drawn under irrevocable credit No.
dated and Import Reference No.(s)
(if any)

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentations and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank:

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to ————————.

3. All banking charges under this credit are for the account of importer/supplier.

Yours faithfully,

.....
(a commercial bank)

By: ————————
(Authorized signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.——————————.

I. Initial Payment

Amount:Y——————————————

being————% of the total contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

II. Intermediate Payment (if any)

Amount:Y——————————————

being————% of the total contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

III. Payment against shipping documents

Amount : Y——————————————

being————% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE V

Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Application for Services)

Date:

This letter of credit has been issued pursuant to

Loan Agreement No. ———

Dated ———

between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

To

———

———

(Name and address of the Supplier)

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.———in your account with for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y———(Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, ning (Contract No. with regard to Project).

ust be presented for negotiation not later than

Drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No.

redit is not transferable.

reby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly due presentation and delivery of documents to the drawee.

otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special instructions to the negotiating bank:

1. After receipt of the original statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the documents as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

———

(a commercial bank)

By: ———

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.————————

I. Initial Payment

Amount: Y————————————

being————% of the total contract price

Required documents: beneficiary's Statement

Latest presentation date:

II. Progress Payment:

Aggregate amount: Y————————————

being————% of the total contract price to be paid as follows:

————————————

Ist Instalment:

Y————————————

2nd Instalment

Y————————————

....

Required document: A copy of state of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a of which is attached hereto.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989